# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **195/2021**

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1. मुन्नीलाल पुत्र तिलोकसिंह<br>2. बलवीरसिंह पुत्र तिलोकसिंह<br>3. महेश पुत्र तिलोकसिंह<br>4. प्रकाश पुत्र तिलोकसिंह<br>जातियान–माली<br>5. शेरसिंह पुत्र गोरधनराम के<br>का0मु0–<br>5/1 चन्दसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह<br>5/2 विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह<br>5/3 श्रीमती महोदवी उर्फ बेबी<br>पुत्री स्व0 शेरसिंह धर्मपत्नी श्री<br>हजारीसिंह<br>5/4 श्रीमती मंजू पुत्री स्व0<br>शेरसिंह धर्मपत्नी रामेश्वरसिंह<br>5/5 श्रीमती किरण पुत्री स्व0<br>शेरसिंह धर्मपत्नी मनीराम जी<br>6. कपूरसिंह पुत्र करणसिंह माली<br>7. सोनी धर्मपत्नी श्री करणसिंह<br>जाति माली सभी निवासी–<br>बकताराम का बेरा, मण्डोर<br>तहसील जोधपुर।<br>8. सम्पतसिंह पुत्र श्री करण सिंह<br>जाति माली निवासी गाबता बेरा<br>मण्डोर, जोधपुर | | 1. विश्वनाथ मेहरा पुत्र लादाराम<br>मेहरा, निवासी–गोल पुलिस<br>चौकी के पास, बागर चौक,<br>जोधपुर।<br>2. बालकिशन पुत्र मांगीलाल जी<br>3. सम्पतसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जी<br>के का0 मु0<br>3/1 श्री मुकेश चौहान पुत्र स्व0<br>श्री सम्पतसिंह जी जाति माली<br>निवासी बनावतों का बेरा गांव<br>चैनपुरा पोस्ट मगरापूंजला<br>मण्डोर जोधपुर।<br>3/2 श्रीमती अनिता पुत्री स्व0<br>सम्पतसिंह जी पत्नी श्री मुकेश<br>जी परिहार जाति माली निवासी<br>149 रूपनगर प्रथम साईधाम<br>रोड पाल जोधपुर।<br>3/3 श्रीमती विनिता पुत्री स्व0<br>श्री सम्पतसिंह पत्नी श्री<br>उम्मेदसिंह गहलोत जाति माली<br>निवासी नारायण सागर बेरा,<br>सुरपुरा बांध के पिदे मण्डोर<br>जोधपुर<br>4. पुखराज पुत्र श्री लालाराम जी<br>5. प्रेमकंवर धर्मपत्नी श्री लालाराम<br>जी,<br>6. कानसिंह पुत्र श्री दौलतराम जी<br>7. अर्जुनसिंह पुत्र श्री दौलतराम<br>जी<br>8. मोहनीदेवी धर्मपत्नी श्री<br>दौलतरामजी सभी जातियान<br>माली निवासी बनवता बेरा,<br>मण्डोर जोधपुर।<br>9. धापू धर्मपत्नी मेघसिंह जाति<br>माली<br>10. गोपीकिशन पुत्र श्री मेघसिंह<br>जाति माली<br>11. मदनसिंह पुत्र मेघसिंह |

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

| | | |
|---|---|---|
| | | 12. उम्मेदसिंह पुत्र मेघसिंह<br>13. श्यामसिंह पुत्र मेघसिंह<br>14. जितेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह<br>15. महेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह<br>16. राजु पुत्र रामेश्वर<br>17. महेन्द्र पुत्र रामेश्वर<br>18. हुकमसिंह पुत्र रामेश्वर<br>19. जगदीश पुत्र रामेश्वर<br>20. जसराज पुत्र श्री हरदेव के कायम मुकाम<br>20/1 गीता धर्मपत्नी श्री स्व जसराज<br>20/2 हजारीसिंह पुत्र स्व जसराज<br>20/3 पुखराजसिंह पुत्र स्व जसराज<br>20/4 चेतन उर्फ बाबू पुत्र स्व जसराज<br>21 ब्रहमसिंह पुत्र रामेश्वर जी<br>22 अणदी धर्मपत्नी गजेन्द्रसिंह<br>23 दलपत पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह<br>24 थानसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह सभी जातियान माली निवासीगण बखता बेरा मण्डोर जोधपुर |

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2013 अनवान विश्वनाथ मेहरा बनाम शेरसिंह वगैराह में पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या **636/2022**

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1. मुन्नीलाल पुत्र तिलोकसिंह<br>2. बलवीरसिंह पुत्र तिलोकसिंह<br>3. महेश पुत्र तिलोकसिंह<br>4. प्रकाश पुत्र तिलोकसिंह<br>जातियान–माली<br>5. शेरसिंह पुत्र गोरधनराम के का0मु0–<br>5/1 चन्दसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह<br>5/2 विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह<br>6. कपूरसिंह पुत्र करणसिंह माली सभी निवासीगण बकताराम जी | | 1. विश्वनाथ मेहरा पुत्र लादाराम मेहरा, निवासी–गोल पुलिस चौकी के पास, बागर चौक, जोधपुर।<br>2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर। |

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

| | | |
|---|---|---|
| का बेरा, मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर<br>7. धापु धर्मपत्नी मेघसिंह जाति माली<br>8. गेपीकिशन पुत्र श्री मेघसिंह जाति माली<br>9. मदनसिंह पुत्र मेघसिंह<br>10. उम्मेदसिंह पुत्र मेघसिंह<br>11. श्यामसिंह पुत्र मेघसिंह<br>12. जितेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह<br>13. महेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह | | |

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक भू0अ0/2021/2321 दिनांक 21.06.2021 जो तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा धारा 135 (2)राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।
2— श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3— श्री प्रवीणकुमार सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2,3,4,5,6,7,8 की ओर से।
4— श्री राजेन्द्र जाखड, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 20/1, 21 की ओर से।
5— श्री अवतारसिंह गहलोत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 16,17,18,19,20/1 ता 20/4, 22, 23, 24 की ओर से।
6— श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 14 की की ओर से ।
6— शेष रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

**निर्णय**

दिनांकः22 नवम्बर,2023

उपरोक्त दोनों अपील प्रकरणों में पक्षकारान एक समान होने, वादग्रस्त भूमि एक होने तथा विषयवस्तु एक समान होने से संयुक्त निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में संलग्न की जावें।

प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया ग्राम गुजरावास के ख0सं0 14 रकबा 54 बीघा 6 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें रेस्पो0/अपीलान्ट के बडे भाई के पिता रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल का बतौर सहखातेदार नाम दर्ज था। रामचन्द लाऔलाद फौत हो गये। चुन्नीलाल के सगे भाई लादाराम थे एवं रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट विश्वनाथ मेहरा लादाराम का पुत्र है

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिसके कारण रामचन्द का वह वारिसान है। रामचन्द के देहान्त पश्चात जो फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है वह रामचन्द के वारिसान के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः उक्त फौतेदगी नामा0 संख्या 18 को निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील जो लगभग 47 वर्ष की देरी से पेश की गई उसमें दर्शाया गया कि रेस्पो0 संख्या एक को उक्त नामा0 की जानकारी दिनांक 4.11.2007 को हो रही है तथा इसके लिये विश्वनाथ मेहरा के द्वारा उपरोक्त जायदाद के लिये चल रहे वाद में पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया एवं उक्त वाद अभी भी विचाराधीन है, और विचाराधीन वाद के रहते ही विश्वनाथ मेहरा द्वारा वर्ष 2013 में विवादित नामा0 को अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती दी गई है जो जानकारी होने के लगभग 6 वर्ष पश्चात तथा अधिवक्ता की कानूनी सलाह के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करना बताया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील पर म्याद अधिनियम लागू नहीं होना दर्शा दिया तथा रामचन्द के वारिसों की जॉच किये बिना ही नामा0 स्वीकृत किया होने, के कारण दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 के द्वारा नामा0 संख्या 18 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध है। अपीलान्ट के पिता श्री शेरसिंह का देहान्त हो चुका है उसके बावजूद भी अपीलान्ट को न तो अपील के जरिये नोटिस जारी किये और न अपीलान्ट को ऐसा कोई नोटिस तामील हुआ है, अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने कपोल कल्पना के आधार पर यह निश्चय कर लिया कि रामचन्द के वारिसानों की जॉच नहीं की गई, जबकि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया गया और न ही ग्राम पंचायत से वारिसानों की जॉच नहीं किये जाने बाबत मूल रिकार्ड को तलब किया व न ही कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई तथा इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा किये गये तर्को को भी अनदेखा कर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 जो दिनांक 13.1.1966 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया, के विरूद्ध दिनांक 12.3.2013

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को प्रथम अपील पेश की गई जो कि 47 वर्ष के पश्चात पेश की गई है, जबकि अपीलान्ट का ही विवादित जायदार पर कब्जा काश्त है। रेस्पो0 विश्वनाथ मेहरा का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा और न ही अपीलान्ट जो मेहरा जाति के है तथा अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट जो कि माली जाति के जिनका सहकाश्तकार होने का प्रश्न ही नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त जायदाद को किस तरह से स्वयं रामचन्द्र के द्वारा प्राप्त की गई है, के बारे में किसी प्रकार का कोई अभिवचन अपील में नहीं किया है। ऐसे में खातेदारी में केवल मात्र रामचन्द का नाम होने से उक्त जायदाद के लिये रामचन्द का वारिसान रेस्पो0 को नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य प्रमाणित करना होगा कि रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल है वह रेस्पो0 के बडे पिता है, उक्त तथ्य पर आधारित प्रश्न है जिसे अपील कार्यवाही में निस्तारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना कि नामा0 पारित करने में विधि का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है। प्रथम दृष्टया अपीलाधीन नामा0 फौतेदगी का भरा गया है जिसमें वारिसों के विवाद को रेस्पोडेन्ट अपील के माध्यम से निस्तारित नहीं करवा सकता है तथा रेस्पोडेन्ट ने यह तथ्य अपील प्रार्थना पत्र में अभिवंचित किये है कि उक्त विवादित जायदार के लिये बालकिशन बनाम शेरसिंह के नाम का वाद विचाराधीन है तो उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को साक्ष्य के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है, उसे अपील के माध्यम से निस्तारित नहीं किया जा सकता है।

वकील अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विश्वनाथ मेहरा कि प्रथम अपील म्याद बाधित थी, तो उसे इसी स्तर पर खारिज करना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट के तथाकथित पूर्वज रामचन्द का देहान्त कब हुआ तथा लादाराम का देहान्त कब हुआ, उनके द्वारा नामा0 अथवा वाद की कार्यवाही नियत समय में नहीं किये जाने बाबत किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। केवल मात्र तंग व परेशान करने के आशय से प्रथम अपील पेश की गई और वह भी केवलमात्र अधिवक्ता की कानूनी सलाह के आधार पर पेश किया जाना बताया है। रेस्पोडेन्ट को प्रथम अपील पेश करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट व उसके पिता वर्ष 1966 से विवादित भूमि पर कभी नहीं गये एवं स्वयं रेस्पोडेन्ट का कथत कि वर्ष 2007 में प्रथम बार रेस्पोडेन्ट मौके पर गये है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई। केवल मात्र रामचन्द को अपना बडा पिता बताते से उक्त जायदार में हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है और न ही उनके पास कब्जा काश्त के बारे में कोई दस्तावेज है। रेस्पोडेन्ट को कानून के अनुसार भी केवल मात्र 12

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्ष तक कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है ऐसे में रेस्पोडेन्ट को जरिये अपील के कोई अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी नामा0 संख्या 18 की जानकारी 47 वर्ष के लम्बे अन्तराल पश्चात होने को तथा विवादित नामा0 की जानकारी वर्ष 2007 में होने के बाद भी 6 वर्ष के अन्तराल से विलम्ब से पेश अपील को विलम्ब बाबत रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किये बिना ही तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी म्याद के बिन्दू का बिना कोई विश्लेषण विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित कृषि में अपना हक–हिस्सा तय करवाने हेतु जरिये नियमित वाद के ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, न की अपील के जरिये। विवादित कृषि भूमि का एक वाद सहायक कलेक्टर न्यायालय फास्ट ट्रेक जोधपुर में विचाराधीन भी है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा उक्त जायदार के लिये तथ्यों, गवाहों तथा सबूतों के आधार पर रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार बनता है तो उसे निस्तारित किया जा सकता है लेकिन इस इस अपील के माध्यम से नहीं है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील उपरोक्त समस्त आधारों पर स्वीकार की जावें।

अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने के आदेश दिये जाने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 2321 दिनांक 21.06.2021 जारी करते हुए निर्णय की अनुपालना में नामा0 में आंशिक निरस्त का नोट लगाया जाकर पुनः मूल नामा0 संख्या 18 पत्र के साथ पटवारी हल्का, सुरपुरा को लौटाते हुए राजस्व रेकर्ड में तदानुसार अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.6.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार जोधपुर के पत्र दिनांक 21.6.2021 के क्रम में नामा0 संख्या 18 को रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल के हिस्से तक आंशिक रूप से निरस्त करने से रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल जाति मेहरा निवासी– जोधपुर बागर चौक का नाम बहाल किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहा।" का नोट जमाबन्दी सम्बत 2060–63 में अंकित कर दिया जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कहीं भी निर्देशित नहीं किया गया था कि नामा0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संख्या 18 को निरस्त कर रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति मेहरा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जावे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र नामा0 संख्या 18 को स्व0 रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के हक–हिस्से तक आंशिक रूप से निरस्त करते हुए रामचन्द के विधिक वारिसानों की जॉच कर नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार, जोधपुर को दिये गये थे, परन्तु उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार जोधपुर द्वारा न तो कोई प्रकरण दर्ज किया गया और न ही सहखातेदारों को बिना कोई नोटिस जारी किये ही और न ही रामचन्द के विधिक वारिसान की जॉच किये ही पटवारी हल्का को उक्तानुसार कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में रददोबदल करने की कार्यवाही कर दी गई। तहसीलदार जोधपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा अपील संख्या 636/2022 मुन्नीलाल बनाम विश्वनाथ मेहरा पेश की गई है, जो दोनों अपीलें एक–दूसरे से कनेक्टेड है। अतः उपरोक्त दोनों अपीले स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किया जावें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरडी 1998 पेज 254 अवलोकनार्थ प्रस्तुत की।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्तागणों की ओर से यह कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया ग्राम गुजरावास के ख0सं0 14 रकबा 54 बीघा 6 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें रेस्पो0 संख्या एक के बडे पिता रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल का बतौर सहखातेदार नाम दर्ज था। रामचन्द लाऔलाद फौत हो गये। चुन्नीलाल के सगे भाई लादाराम थे एवं रेस्पोडेन्ट विश्वनाथ मेहरा लादाराम का पुत्र है जिसके कारण रामचन्द का वह विधिक वारिसान है। रामचन्द के देहान्त पश्चात जो फौतेदगी म्यूटेशन ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया है वह रामचन्द के वारिसान के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः उक्त फौतेदगी नामा0 संख्या 18 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागणों ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 के कॉलम संख्या 5 में रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल बतौर सहखातेदार दर्ज है लेकिन कॉलम संख्या 11 में रामचन्द के वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया है और न ही नाम दर्ज नहीं करने का कोई विवरण अंकित है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट व उसके पिता को न तो कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही नोटिस जारी किया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जो प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है। श्री रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज था तो ऐसे में उनका नाम किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता था और उनके देहान्त उपरान्त उनके वारिसान का नाम दर्ज करना न्यायसंगत था। रेस्पोडेन्ट को उक्त नामा0 स्वीकृत होने की जानकारी होने पर उनके द्वारा यह प्रथम अपील पेश कर अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने एवं रामचन्द के वारिसान के नाम उत्तराधिकारी नामा0 दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागणों ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 18 के स्वीकृत होने की जानकारी होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत विवरण पेश करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु कथन किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को इस आधार पर स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि के अपीलाधीन नामा0 में कॉलम संख्या 05 में गोरधन पुत्र आसू, हरदेव पुत्र केसू, मांगीलाल पुत्र पोकर, रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल सहखातेदार दर्ज है और उक्त नामा0 रामचन्द्र व मांगीलाल के फौत होने पर भरा गया है लेकिन उक्त नामा0 के कॉलम संख्या 11 में मांगीलाल के वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन रामचन्द के वारिसानों का नाम इन्द्राज नहीं है तथा नामा0 में रामचन्द के फौत होने से उनके वारिसानों का नाम इन्द्रा नहीं करने का कारण अंतिक कॉलम में नहीं दर्शाया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के द्वारा रामचन्द के फौत होने व उनके वारिसानों का नाम इन्द्राज नहीं होने व बिना वारिसान का नाम दर्ज किये नामा0 स्वीकृत करने को प्रारम्भ से ही शून्य होना माना व प्रारम्भ से शून्य नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम लागू नहीं होना माना। तत्पश्चात ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 18 को रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल की हक तक निरस्त करते हुए उनके विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 को पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागणों ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक का नाम गिरदावरी सम्वत 2010 से मेहरा– माली सहखातेदार के रूप में अंकित होकर चला आ रहा है। एक ही राजस्व खाते में अलग–अलग जाति के व्यक्ति का नाम सहखातेदार/खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हो सकना अथवा दर्ज होना कोई विधिक प्रश्न नहीं है, बेचान–खरीद के आधार पर अलग–अलग जाति के व्यक्ति दर्ज हो सकते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है। उक्त नामा0 संख्या 18 रामचन्द एवं मांगीलाल सहखातेदार के फौत होने पर उनके वारिस को रेकर्ड पर दर्ज करने हेतु भरा गया था। सहखतेदार मांगीलाल के वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन रामचन्द के वारिस की जगह गोरधन पुत्र आसू को उनका हिस्सा दे दिया। उक्त नामा0 में रामचन्द के वारिसान का नाम नहीं आना एडमिसेबल फेक्ट है। ऐसे में उक्त नामा0 को चुनौती दिये जाने हेतु म्याद जैसे तकनीकी बिन्दू आडे नहीं आ सकता है और किसी पक्षकार को म्याद के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। खातेदार चुन्नीलाल के दो पुत्र रामचन्द व लाडाराम थे। रामचन्द लाऔलाद फौत हो गये। लाडाराम का रेस्पो0 संख्या एक विश्वनाथ वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय ने रामचन्द के विधिक वारिसानों की जॉच कर उनके नाम नामा0 भरे जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, परन्तु न्यायालय हाजा की ओर से जारी स्थगन के कारण अग्रिम कार्यवाही तहसीलदार कार्यालय को स्थगित कर दी गई है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागणों ने यह भी कथन किया कि नियम विरूद्ध पारित किये गये किसी भी आदेश को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने पर उसे म्याद जैसे बिन्दू को गौण करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित कर उसे निरस्त किया जा सकता है। वहॉ पर म्याद की बाधा आडे नहीं आ सकती है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी दिनांक 4.11.2007 को होने के उपरान्त भी अपील पेश नहीं किये जाने का मुख्य कारण न्यायालय की कार्यवाही में समय गुजर जाना है क्योंकि सहायक कलेक्टर जोधपुर में विचाराधीन वाद में रेस्पो0 को पक्षकार बनाया तो उसके विरूद्ध शेरसिंह वगैरा ने राजस्व मण्डल में चुनौती दी जो निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, तत्पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर के अधिवक्ता से सलाह मशविरा करने पर उनके द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 को निरस्त कराने हेतु प्रथम अपील पेश करने की कार्यवाही कर दी थी।

इसके अतिरिक्त सहायक कलेक्टर जोधपुर में विचाराधीन दावे में उक्त नामा0 के निरस्त कर दिये जाने से प्रकरण रिमाण्ड कर दिये जाने से किसी प्रकार का विधिक प्रभाव नहीं पडेगा, क्योंकि नामा0 एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है उसमें किसी प्रकार के हक–अधिकार तय नहीं होते है, नामा0 को ही चुनौती दी गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 को यथावत बहाल रखा जाकर स्व. रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान के नाम राजस्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की यथा– आरआरडी पेज 792, 795, आरआरडी 1991 पेज 492, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2009 (2) पेज 1102, आरआरडी 1989 पेज 45, 2015(2) आरआरटी पेज 806, 2017(2) आरआरटी पेज 1104 इत्यादि।

रेस्पो0 संख्या 20/1 एवं 21 के अधिवक्ता ने अपील के कॉस आब्जेक्शन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम पेश करते हुए यह कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील मे पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध पेश की है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम गुजरावास खुर्द तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 14 रकबा 54 बीघा 06 बिस्वा के मूल खातेदार गोरनधन पुत्र आसु 1/4, हरदेव पुत्र केसु, 1/4 मांगीलाल पुत्र पोकर 1/4 रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल 1/4 साकिन चेनपुरा जोधपुर मे से खातेदार मांगीलाल एवं रामचन्द्र के फौत होने पर फौतगी म्यूटेशन/नामान्तरण संख्या 18 दिनांक 3/1/66 को ग्राम पंचायत सुरपुरा पंचायत समिति मण्डोर जोधपुर पारित किया जिसमे गोरधन पुत्र आसु 1/2 हरदेव पुत्र केसु 1/4 लाला, बालकिशन, दौला, सम्पत पि. मांगीलाल 1/4 माली चेनपुरा भरा गया। पक्षकारान का यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त खसरा नम्बर 14 ग्राम गुजरावास में सहखातेदारो के पूर्वज गोरधन पुत्र आसु, हरदेव पुत्र केसु, मांगीलाल पुत्र पोकर, रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल का बापी पट्टा से नाम चला आ रहा है तथा सभी खातेदार उक्त खसरा की भूमि मे बराबर के सहखातेदार चले आ रहे थे और उन खातेदारों ने मौके पर अपने–अपने हिस्से कर अलग–अलग काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान् पूर्वजों के अनुसार अपनी–अपनी हिस्से आयी कृषि भमि पर खेती करते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा जो नामांतकरण भरा गया जिसमें रामचन्द्र के फौतेदगी नामा0 में उनके वारिसान का नाम दर्ज नही कर रामचन्द्र के हिस्से को गोरधनजी के हिस्से मे दर्ज कर दिया गया, उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील रामचन्द्र के वारिसान् विश्वनाथ मेहरा ने पेश की। अधिनस्थ न्यायालय ने बहस सुन कर उक्त नामां0 को आंशिक निरस्त करते यह आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 14 में नामान्तरकरण संख्या 18 के कॉलम नं. 5 मे गोरधन पुत्र आसु, हरदेव पुत्र केसु मांगीलाल पुत्र पोकर, रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल सह खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त नामान्तकरण रामचन्द्र व मांगीलाल के फौत होने पर भरा गया है लेकिन नामान्तकरण के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कॉलम नं. 11 में मांगीलाल के वारिसान् का नाम दर्ज किया गया, परन्तु रामचन्द्र के वारिसानों का नाम इन्द्राज नही है तथा नामा0 मे रामचन्द्र के फौत होने उनके वारिसानो का नाम इन्द्राज नही करने का कारण अंतिम कॉलम मे नही दर्शाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया व विधि विरूद्व व रामचन्द्र के विधिक वारिसानो की बिना जॉच किये गया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है जो नामान्तकरण प्रारम्भ से शुन्य होती है उसमे धारा 5 म्याद अधिनियम लागू नही होती है। अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 18 ग्राम पंचायत सुरपुर द्वारा भरा गया है वह तहसीलदार जोधपुर को प्रति प्रेषित किया जाकर नामान्तकरण इस हद तक आंशिक रूप से निरस्त जात है कि स्व. रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल के विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा जांच कर रामचन्द्र का नाम पुनः नामान्करण संख्या 18 में दर्ज किया और उसकी पालना मे जमाबन्दी मे रामचन्द्र का नाम पुनः दर्ज किया गया जिसकी एक अपील अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जिसमे नोटीस जारी होने पर न्यायालय में रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर उसकी नकल लेने पर समस्त तथ्यों की जानकारी होते ही यह क्रॉस अब्जेक्शन पेश किये जा रहे है।

अपीलाण्ट ने यह अपील ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 18 को सही मानते हुए अपील पेश की है और नामांतकरण संख्या 18 में रामचन्द्र, मांगीलाल के फौत होने पर मांगीलाल के वारिसान् लाला, बालकिशन, दौला, सम्पत पि मांगीलाल 1/4 का दर्ज किया गया और जो पूर्व गोरधन पुत्र आसु एवं हरदेव पुत्र केसु यथावत रखते हुए भरा गया। लेकिन राजस्व कर्मचारी की भूल/टंकण त्रुटी से जमाबन्दी मे केवल मात्र गोरधन पुत्र केसु का नाम ही इन्द्राज किया गया जो कानूनन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कर शुद्वि करते हुए उक्त नामातंरण संख्या 18 की पालना मे जमाबन्दी मे हरदेव पुत्र केसु एवं लाल, बालकिशन, दौला, सम्पत पि. मांगीलाल का नाम दर्ज फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

सहखातेदार हरदेव पुत्र केसु जब नामांतरण स्वीकृत किया तब वे जीवित चले आ रहे थे और उक्त नामांतकरण पर उनके व बालकिशन कि हस्ताक्षर भी है लेकिन बिना किसी कारण से हरदेव पुत्र केसु एवं लाला, बालकिशन, दौला सम्पत पि. मांगीलाल का नाम जामबन्दी में दर्ज नही किया गया जो कानूनन विधि विरूद्व है और जमाबन्दी में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हरदेव पुत्र केसु एवं लाल, बालकिशन, दौला सम्पत पि. मांगीलाल का नाम जामबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। हरदेव पुत्र केसु का स्वर्गवास दिनांक 07/11/1997 को गया और उनके पश्चात उनके वारिसान् उनके हिस्से पर खेती करते चले आ रहे है और श्री बालकिशन आज दिन तक जीवित है व अपने हिस्से भूमि पर खेती करते चल आ रहे है जिनका इन्द्राज गिरदावरी में चला आ रहा है। लाला, दौला एवं सम्पत का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके वारिसान् अपने–अपने हिस्से पर खेती करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त अपील में सभी के वारिसान् पक्षकारान चले आ रहे है अतः हरदेव पुत्र केसु 1/4 एवं लाला, बालकिशन, दौला, सम्पत पि. मांगीलाल 1/4 का नाम जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे और उनके वारिसानों की जांच कर उनके फौतगी नामांतकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जावें। अतः यह क्रॉस ऑब्जेक्शन पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या 18 की पालना में जमाबन्दी मे हरदेव पुत्र केसु 1/4 एवं लाला, बालकिशन,दौला, सम्पत पि. मांगीलाल 1/4 का नाम दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे अथवा नामांतकरण संख्या 18 को सम्पूर्ण निरस्त फरमाकर गोरधन पुत्र आसु 1/4 हरदेव पुत्र केसु 1/4 मांगीलाल पुत्र पोकर 1/4 रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल 1/4 सा. चेनपुरा के विधिक वारिसानों की जॉच कर नया नामांतकरण स्वीकृत फरमाया जावे। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की यथा आरआरडी 1998 पेज 254,

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पारित अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 ग्राम गुजरावास को निरस्त करते हुए स्व0 रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल के विधिक वारिसानों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2021 को तहसीलदार जोधपुर को दिये गये है। जिसके कम में तहसीलदार जोधपुर के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 18 को दिनांक 21.6.2021 को रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के हिस्से तक निरस्त करने का नोट अंकित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 195/2021 दर्ज हुई। तत्पश्चात तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.6.2021 के द्वारा पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया कि नामा0 संख्या 18 में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 के अनुसार आंशिक निरस्त का नोट लगाया जाकर नामा0 पत्र के साथ संलग्न कर लौटाते हुए राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्देश दिये। जिसके विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 636/2022 पेश होकर दर्ज हुई है। अपील प्रकरणों में मुख्य विवादित विषय का बिन्दू यानि अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 में दर्ज गोरधन पुत्र आसू, हरदेव पुत्र केसू, मांगीलाल पुत्र पोकर, रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल सा0 चैनपुरा थे, उक्त सहखातेदार में से रामचन्द एवं मांगीलाल के देहान्त हो जाने पर उनके स्थान पर नामान्तरकरण में गोरधन पुत्र आसू, हरदेव पुत्र केसू, लाला, बालकिशन, दौलाराम, सम्पत पिता मांगीलाल के नाम ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया, जबकि उक्त फौतेदगी नामा0 में सहखातेदार रामचन्द एवं मांगीलाल के विधिक वारिसान की जॉच करते हुए नियमानुसार नाम दर्ज करना चाहिये था। जिसके विरूद्ध विश्वनाथ पुत्र लादाराम रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने को चुन्नीलाल के सगे भाई लादाराम का पुत्र होना तथा रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल का वारिस होना अंकित करते हुए फौतेदगी नामा0 में रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान का नाम भी दर्ज करने हेतु एक प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.03.2021 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 18 को रामचन्द के हिस्से तक आंशिक निरस्त करते हुए रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के विधिक वारिसान की जॉच करने के आदेश पारित किये गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। हमारी विनम्र राय में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं है जिसके अनुसार मृतक सहखातेदार रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के विधिक वारिसानों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा अपील संख्या 192/2021 में जसराज पुत्र हरदेव के कायम मुकाम श्रीमती गीता पत्नी श्री जसराज(रेस्पो0 संख्या 20/1) एवं ब्रहमसिंह पुत्र रामेश्वर माली की ओर से प्रस्तुत कॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया कि उनके पूर्वज हरदेव पुत्र का स्वर्गवास दिनांक 7.11.1997 को हो गया उनके वारिसान बालकिशन आज जीवित चले आ रहे है जिनका इन्द्राज गिरदावरी में चला आ रहा है और लाला, दौला व सम्पत का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके वारिसान अपने–अपने हिस्से पर खेती करते चले आ रहे है लेकिन बिना कारण से हरदेव पुत्र केसू व लाला, बालकिशन, दौला, सम्पत पिता मांगीलाल का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया गया है। अतः हरदेव पुत्र केसू 1/4 व लाला, बालकिशन, दौला, सम्पत पिता मांगीलाल 1/4 का नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे अथवा नामा0 संख्या 18 को सम्पूर्ण निरस्त कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गोरधन पुत्र आसू 1/4, हरदेव पुत्र केसू 1/4, मांगीलाल पुत्र पोकर 1/4, रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल 1/4 साकिन चैनपुरा के विधिक वारिसानों की जॉच कर नया नामा0 स्वीकृत करने के तथ्य अंकित किये गये है।

अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त एवं प्रस्तुत दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलान्टस की अपीलें अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 21.06.2021 को बहाल रखे जाते है। तहसीलदार, जोधपुर उक्त अपीलाधीन आदेश अनुसार उक्त भूमि के सहखातेदार मृतक रामचन्द पुत्र चुन्नीलाल के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामा0 दर्ज करने की विधिवत कार्यवाही निष्पादित करें। साथ ही तहसीलदार, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 में अंकित सहखातेदार मांगीलाल पुत्र पोकर एवं हरदेव पुत्र केसू के विधिक वारिसान की भी जॉच करते हुए उनके नाम भी नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर